

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270762
SG-DL-E-09032026-270762असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 485
No. 70]	DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947	[N. C. T. D. No. 485

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2026

सचिव राजस्व विभाग द्वारा घोषणा

फा.सं. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2022-23/1112514/16677—जबकि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य हेतु गांव-बडुसराय उप-मंडल/तहसील मटियाला जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में कुल 3 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि की आवश्यकता है, अर्थात् सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली सरकार के लिए नजफगढ़ नाले पर आरडी 14468 मीटर के ऊपर 4 लेन आरसीसी पुल का निर्माण।

और जबकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना एस.ओ. 2740 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि गांव बडुसराय उप-मंडल/तहसील

मटियाला जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में उपर्युक्त परियोजना हेतु 3 बिस्वा 2 बिस्वांसी माप वाली भूमि का एक भूखंड अधिग्रहण के अधीन है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम तथा पता	सीमाएँ			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	31//12/1	निजी	कृषि	3 बिस्वा 2 बिस्वांसी	1. प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह, 2. हेमंत कुमार पुत्र जगत सिंह, 3. पवन कुमार पुत्र जगत सिंह (नानक हेड़ी, नई दिल्ली के उपरोक्तनिवासी)				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
शून्य	शून्य

संरचनाएँ	
किार	प्लिथ क्षेत्र
शून्य	शून्य

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् की गई है। जबकि, अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी हितबद्धव्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। भूमि अधिग्रहण के कारण पुनःस्थापन किए जाने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें जो उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से के नीचे स्थित हैं, खदानों और खनिजों के ऐसे हिस्सों के अतिरिक्त जिन्हें उस उद्देश्य हेतु परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदने या हटाने या उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, आवश्यक नहीं हैं। भूमि की योजना का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पुराना टर्मिनल कर भवन, कापसहेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना का सारांश संलग्न है।

संलग्नक : उक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नीरज सेमवाल, आईएएस
सचिव (राजस्व) सह मंडलीय आयुक्त

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन योजना का सारांश

1. परियोजना का नाम	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए नजफगढ़ नाले पर आरडी 14468 मीटर के ऊपर 4 लेन आरसीसी पुल का निर्माण।
2. भूमि में हितबद्धव्यक्तियों के नाम/संख्या तथा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन हेतु उनके संबंधित दावे की प्रकृति।	जैसा कि क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित है

3. प्रभावित परिवारों को दिए गए पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पात्रता के प्रावधान की समय सीमा	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 38 के अंतर्गत अधिनिर्णय की तिथि से 6 माह के भीतर।
--	---

4. क्र० सं०	दावेदार/प्रभावित परिवार/भूमि मालिकों का नाम	आधार संख्या	व्यवसाय	पुनर्वास एवं पुनःस्थापन	टिप्पणी
1.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र जगत सिंह	शून्य	निजी रोजगार	i. विस्थापन की स्थिति में आवास इकाइयों का प्रावधान ii. आवंटित भूमि iii. विकसित भूमि हेतु प्रस्ताव iv. वार्षिकी/रोजगार v. विस्थापित परिवार के लिए 1 वर्ष की अवधि हेतु निर्वाह अनुदान vi. विस्थापित परिवार के परिवहन का खर्च। vii. पशुशाला/छोटी दुकान का खर्च viii. कारीगरों, छोटे व्यापारियों तथा कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान ix. मछली पकड़ने के अधिकार x. एकमुश्त पुनःस्थापन भत्ता xi. स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो	i. एनए (लागू नहीं) क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। ii. लागू नहीं क्योंकि यह सिंचाई परियोजना नहीं है। iii. लागू नहीं क्योंकि शहरीकरण के प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। iv. लागू नहीं क्योंकि प्रभावित परिवार का कोई विस्थापन नहीं है तथा न ही आजीविका की क्षति हुई है (जिन परिवारों के पास आय के वैकल्पिक स्रोत हैं)। v. लागू नहीं क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। vi. लागू नहीं क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। vii. लागू नहीं क्योंकि प्रभावित परिवार के लिए कोई विस्थापन नहीं है। viii. लागू नहीं क्योंकि अधिग्रहित की जा रही भूमि प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषि भूमि/वाणिज्यिक/औद्योगिक संरचना नहीं है। ix. लागू नहीं यह कोई सिंचाई/जलविद्युत परियोजना नहीं है। x. प्रभावित परिवार को मात्र 50000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। xi. यह खर्च संबंधित विभाग/एजेंसी (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण) द्वारा वहन किया जाएगा।
2.	श्री हेमंत कुमार पुत्र जगत सिंह	शून्य	पेशेवर योग शिक्षक		
3	श्री पवन कुमार पुत्र जगत सिंह	शून्य	बेरोजगार		

OFFICE OF THE SECRETARY (REVENUE)-CUM-DIVISIONAL COMMISSIONER
NOTIFICATION

Delhi, the 3rd March, 2026

DECLARATION BY SECRETARY, REVENUE DEPARTMENT

F. No. ADM/LAC/SW/2022-23/1112514/16677—Whereas it appears to the Government that a total of **3 Biswa 2 Biswansi** land is required in the Village-**Badusarai** Sub-division/Tehsil **Matiala** District South-West Delhi for public purpose, namely, **Construction of 4 Lane RCC Bridge at upstream of RD 14468m on Najafgarh Drain for Irrigation and Flood Control Department (I&FC), Govt. of NCT of Delhi.**

And whereas in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O. 2740 dated 21st October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring **3 Biswa 2 Biswansi** is under acquisition for the above said project in the Village **Badusarai** Sub-division/Tehsil **Matiala** District South-West Delhi whose detailed description is as following:

Sl. No.	Survey No.	Type of title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa-Biswansi)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N	S	E	W
1.	31//12/1	Pvt.	Agri.	3 Biswa 2 Biswansi	1. Pardeep Kumar S/o Jagat Singh, 2. Hemant Kumar S/o Jagat Singh, 3. Pawan Kumar S/o Jagat Singh (All above R/o Nanak Heri, New Delhi)				

This declaration is made after completion of the process under Section 15 of the Right to Fair Compensation

Trees	
Variety	Number
NIL	NIL

Structures	
Type	Plinth area
NIL	NIL

and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). Whereas, no objection has been received from any person interested within the prescribed period under Section 15 of the Act. The number of families likely to be resettled due to land acquisition is Nil.”

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed. A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector District South West Delhi, Old Terminal Tax Building, Kapashera on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl: As above

By Order and in the Name of Hon'ble Lt. Governor,
National Capital Territory of Delhi,

NEERAJ SEMWAL, IAS
Secretary (Revenue) cum Divisional Commissioner

SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME

1. Name of Project	<i>Construction of 4 Lane RCC Bridge at upstream of RD 14468m on Najafgarh Drain for Irrigation and Flood Control Department (I&FC), Govt. of NCT of Delhi.</i>
2. Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective claim for Rehabilitation and Resettlement.	<i>As mentioned at Serial No.4</i>
3. Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families	Within 06 months from the date of award u/s 38 of RFCTLARR Act, 2013.

4 S. No.	Name of Claimant/ Affected Family/landowners	Aadhar No.	Occupation	Rehabilitation and Resettlement Entitlement	Remarks
1.	Sh. Pardeep Kumar S/o Jagat Singh	NIL	Private Job	i. Provision of housing units in case of displacement. ii. Land for allotted	i. NA (Not Applicable) as there is no displacement for the affected family. ii. NA as it is not irrigation project.
2.	Sh. Hemant Kumar S/o Jagat Singh	NIL	Professional yoga Teacher	iii. Offer for Developed Land iv. Annuity/Employment v. Subsistence grant for displaced family for period of 1 year.	iii. NA as land is not being acquired for urbanization purpose. iv. NA as there is no displacement for the affected family nor loss of livelihood (families having alternate sources of income).
3.	Sh. Pawan Kumar S/o Jagat Singh	NIL	Unemployed	vi. Transportation cost for displaced family. vii. Cattle Shed/Petty shop cost viii. One time grant to artisan, small traders and certain others. ix. Fishing rights x. One time resettlement allowance. xi. Stamp duty and registration fees, if any	v. NA as there is no displacement for the affected family. vi. NA as there is no displacement for the affected family. vii. NA as there is no displacement for the affected family. viii. NA , as land being acquired is not an non-agricultural land/commercial/ industrial structure in the affected area. ix. NA , it is not an irrigation/hydel project. x. Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only. xi. To be borne by the requiring department/agency (Irrigation and Flood Control).